

57/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में बार-बार आवाज
लगाये जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं आये। पत्रावली अदम परची अदम राजरी में
खारिज की जायी है। पत्रावली केवल सुभाष शेरकर
बाद मरतीब तृतीया दारिखत दफ्तर है।

Jan

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक नजिरदार
दीवानी

